

33/2022 माता V/S कलाश

53, 54
188 RTA

22/10/24

प्राथमिकीकरण की नलनी हेतु वरी
सक्रिय के पत्रे पेश करे एवं समान
नलनाय पेश करे हेतु न्यायाधीश में
आवेदन अर्थात् रिजवाजा ही परावली
वाले प्राथमिकीकरण की नलनी हेतु
दिनांक 22/10/24 को पेश हो।

22/10/24

22/10/24

परावली पेश हुई वारी आदि विपक्ष/अधीनकार
पक्ष शाब्दिक आवेदन में दिनांक 13/11/24
को पेश के

13/11/24

परावली पेश हुई वारी आदि। वारी अनुपस्थित
वारी अधिवक्ता। वारी को निश्चयानुसार तीन बार
आवाजे लगवाई गई, परन्तु कोई उपस्थित नहीं
आया। वारी अधिवक्ता को न्यायाधीश में
एक और बार आवाज लगवाई गई, परन्तु कोई
उपस्थित नहीं आया। समय 5.50 PM हो चुका है।
वारी अधिवक्ता के न्यायालय में
उपस्थित नहीं आते हैं परावली अदम्य एवरी।
अदम्य पौबी में खादि की जारी है परावली में
निधि से इजलास सुनाना गया। परावली में
कमल शुमार होकर जारी दफ्तर ही गया। परावली
तकतर से कम हो।

13/11/24

अधिवक्ता कलाश
बीलपाड़ा